



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़, 1942 (श०)

26 जून, 2020 (ई०)

संख्या- 303 राँची, शुक्रवार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

18 मई, 2020

संख्या- 3/पद0-01(ग)-01/2015 का.- 2458-- श्रीमती शैल प्रभा कुजूर, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-751/03, गृह जिला- गुमला) संयुक्त सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 3/पद0-01(ग)-01/2015 का.- 2459-- श्री सुनील कुमार सिंह, न0-1, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-727/03, गृह जिला- रोहतास) संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 3/पद0-01(ग)-01/2015 का.- 2460-- श्री पवन कुमार मण्डल, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-738ए/03, गृह जिला- भागलपुर) आप्त सचिव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित PB-III 15600-39100/7600, पुनरीक्षित लेवल 12) में प्रोन्नति के उपरान्त प्रोन्नत पद के वेतनमान में आप्त सचिव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 3/पद0-01(ग)-01/2015 का.- 2461-- मो0 शम्बीर अहमद, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 771/03, गृह जिला- धनबाद) उप सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची (उप सचिव के पद पर अपने वेतनमान में पदस्थापित) की सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

संख्या- 3/पद0-01(ग)-01/2015 का.- 2462-- श्री अनिल कुमार यादव, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला- गोड्डा) अवर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची की सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

संख्या- 3/पद0-01(ग)-01/2015 का.- 2463-- श्री पारसनाथ यादव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 632/03, गृह जिला- सहरसा), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, को कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii श्री यादव को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत कोडरमा के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह
सरकार के उप सचिव।
